

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2825/2025

Paramjeet Gurjar S/o Ajaypal Gurjar, Aged About 22 Years, R/o Gurjar Majri, Police Station Bawal At Present Near Old Post Office, Malakhera Gate, Police Station Kotwali, District Alwar. (At Present Confined In Central Jail, Alwar)

----Appellant

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Deepak S/o Dharamveer, R/o Bhavthadi, Police Station Surajgarh, District Jhunjhunu At Present Residing At Manglam Residency Tower-B Flat No. 305, Alwar, Police Station Aravali Vihar, Alwar.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Gajender Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, Adl. G.A. cum P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/12/2025

अपीलार्थी/अभियुक्त परमजीत गुर्जर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक-08.10.2025 के विरुद्ध यह जमानत अपील अन्तर्गत धारा 14(ए) एस.सी./एस.टी एक्ट उसे पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-642/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 303(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r)(S) अ.जा./अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है, अपीलार्थी दिनांक 01.09.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में

अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत अपील का विरोध करते हुए जमानत अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। अपीलार्थी लम्बी अवधि से अभिरक्षा में है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना अपीलार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत अपील स्वीकार की जाती हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो अपीलार्थी/अभियुक्त **परमजीत गुर्जर पुत्र श्री अजयपाल गुर्जर** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J